न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बस्सी- जयपुर

पीठासीन अधिकारी : अशोक कुमार शर्मा, आर0ए0एस0
वाद संख्या : 318/2008
उनवान : हनुमान प्रसाद बनाम लक्ष्मी देवी
निर्णय दिनांक : 31/01/2018

1. हनुमान प्रसाद दत्तक पुत्र श्री गणेशनारायण जाति ब्राह्मण, निवासी ग्राम जीतावाला, तहसील बस्सी,जिला जयपुर।

वादी

बनाम

1. लक्ष्मी देवी पत्नि श्री कैलाशचन्द शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी मकान नम्बर 167, धाभाई जी का खुर्रा, रामगंज बाजार, जयपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील बस्सी जिला जयपुर।
3. उप पंजीयक, उपपंजीयक कार्यालय बस्सी।

प्रतिवादीगण

प्रार्थना पत्र बाबत् वाद खारिजी
अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहिता 1908

निर्णय

संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार है कि अप्रार्थी वादी संख्या 1 द्वारा एक वाद बाबत घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 इस आशय के साथ पेश किया कि वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 181 रकबा 3 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 204 रकबा 4 बीघा 7 बिस्वा, खसरा नम्बर 178 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा, खसरा नम्बर 203 रकबा 1 बिस्वा कुल किता 4 कुल रकबा 9 बीघा 6 बिस्वा वाके ग्राम जीतावाला तहसील बस्सी जिला जयपुर में स्थित है जिसमें 1/2 भाग का खातेदार काश्तकार रूघनाथ था जिसकी मृत्यु हो चुकी है। उसकी मृत्यु के पश्चात उसका नामान्तरकरण 1/2 भाग का गणेशनारायण दत्तक पुत्र रूघनाथ के नाम हुआ, उसकी मृत्यु के पश्चात उक्त आराजी पर वादी काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा है। विवादग्रस्त आराजी रूघनाथ की खातेदारी की आराजी थी, जिसके फोत होने पर उसकी विरासत का नामान्तरकरण गणेशनारायण दत्तक पुत्र रूघनाथ पुत्र मुरलीधर शर्मा के नाम तस्दीक किया गया। गणेशनारायण के कोई जायन्दा औलाद नहीं थी, उसने अपने भाई के लड़के हनुमान प्रसाद को गोद ले लिया और उसके पक्ष में एक वसीयत तहरीर व तकमील कर दी। गणेशनारायण की मृत्यु दिनांक 20/12/2000 को हो चुकी है और उसकी मृत्यु के पश्चात उसके दत्तक पुत्र वादी ने वसीयत के आधार पर नामान्तरकरण तस्दीक करने बाबत तहसीलदार बस्सी को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। विवादग्रस्त आराजी वादी के पिता गणेशनारायण को रूघनाथ से विरासत में मिली थी। स्वर्गीय श्री रूघनाथ के दो लड़कियां थी जो क्रमशः मु0 बसन्ती व मु0 लक्ष्मी थी। जिस समय दत्तक पुत्र के आधार पर गणेशनारायण के नाम नामान्तरकरण तस्दीक किया गया उस नामान्तरकरण से व्यथित होकर उसकी दोनों जायन्दा पुत्रियों एवं बेवा ने एक दावा सहायक कलेक्टर जयपुर प्रथम के समक्ष मुकदमा संख्या 60/84 उनवानी मु0 छोटा वगैरह बनाम गणेशनारायण प्रस्तुत किया जिसमें पक्षकारों के मध्य राजीनामा होने पर मु0 बसन्ती व लक्ष्मी ने रूबरू अदालत अपने

की मृत्यु होने पर वादी ने जब तहसीलदार महोदय के समक्ष अपने नाम नामान्तरकरण खोलने की कार्यवाही की तो प्रतिवादी संख्या 1 ने भी एक प्रार्थना पत्र उज्रदारी व अपने नाम नामान्तरकरण खोलने हेतु तहसीलदार महोदय के समक्ष प्रस्तुत किया जिस पर तहसीलदार महोदय बस्सी ने साक्ष्य व सबूत लेकर बिना किसी साक्ष्य एवं सबूत पर मनन किये प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में नामान्तरकरण खोले जाने के आदेश दिनांक 17/04/2006 को पारित कर दिये और जिसके प्रभाव में नामान्तरकरण संख्या 277 तस्दीक किया जा चुका है और प्रतिवादी संख्या 1 विवादग्रस्त आराजीयात को दीगर व्यक्तियों को बेचान एवं मुन्तकिल करने पर आमादा हो रही है, जबकि विवादग्रस्त आराजी पर वादी का अपने पिता के समय से निरन्तर कब्जा काश्त है। जिसमें वादी शांतिपूर्वक अपने परिवार के साथ काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा है।

माननीय तहसीलदार महोदय बस्सी ने दिनांक 17/04/2006 को जो आदेश पारित किया हैं वह गैर जिम्मेदाराना, मनमाना व कानून के विरूद्ध है। उक्त आदेशों के प्रभाव को स्थगित किये जाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त भी श्रीमान तहसीलदार महोदय ने बिना अपील पेश करने का अवसर दिये बाला–बाला उक्त आदेशो के प्रभाव में दिनांक 18/04/2006 को नामान्तरकरण संख्या 277 को तस्दीक कर दिया, जिसके आधार पर प्रतिवादी संख्या 1 विक्रय पत्र पंजीबद्ध कराने हेतु तत्पर हो रही हैं और प्रतिवादी संख्या 1 माननीय तहसीलदार बस्सी द्वारा दिनांक 18/04/2006 को प्रातः 10.00 बजे विवादग्रस्त आराजी पर आई और वादी को ऐलानिया धमकी दी कि वो विवादग्रस्त आराजी का बेचान दीगर व्यक्तियों को कर वादी को मौके से बेदखल करके रहेगी। प्रतिवादी संख्या 1 के नाम नामान्तरकरण दिनांक 18/04/2006 को तस्दीक होने एवं मौके पर आकर झगड़ा फसाद करने से उक्त वाद प्रस्तुत करना लाजमी हुआ है और यही वाद प्रस्तुतीकरण का कारण है। प्रतिवादी संख्या 1 के कृत्य दिनांक 18/04/2006 से व्यथित होकर वादी को उक्त वाद प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है एवं अपने अधिकारों की घोषणा कराना आवश्यक हो गया है। वाद कारण उत्पन्न होने की दिनांक 18/04/2006 से वाद घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्दर मियाद प्रस्तुत है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में वर्णित प्रावधानों के अनुसार घोषणा के वाद के लिये कोई कालावधि निर्धारित नहीं है एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद कारण उत्पन्न होने की दिनांक 18/04/2006 से अन्दर मियाद प्रस्तुत है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में वर्णित प्रावधानों के अनुसार वाद पत्र पूर्ण कोर्ट फीस पर दावा माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत है। विवादग्रस्त आराजी ग्राम जीतावाला तहसील बस्सी जिला जयपुर में स्थित होने से माननीय न्यायालय को वाद का श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार प्राप्त है। प्रतिवादी संख्या 2 राजस्व रिकार्ड के लिये प्रभारी अधिकारी है तथा प्रतिवादी संख्या 3 विक्रय पत्र एवं हस्तान्तरण पत्र पंजीकृत करने के लिये प्राधिकृत अधिकारी है। इसलिये वाद में बतौर प्रतिवादी सम्मिलित किया है, अन्य कोई अनुतोष अपेक्षित नही है।

अतः वाद वादी प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण संख्या 1 डिक्री किया जाकर वादी को विवादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 181 रकबा 3 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 204 रकबा 4 बीघा 7 बिस्वा, खसरा नम्बर 178 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा, खसरा नम्बर 203 रकबा 1 बिस्वा कुल किता 4 कुल रकबा 9 बीघा 6 बिस्वा वाके ग्राम जीतावाला तहसील बस्सी जिला जयपुर के 1/2 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। वाद वादी विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 1 को इस आशय की निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वे वादी को उसकी कब्जेशुदा आराजी से बेदखल करने की कार्यवाही नहीं करे, न कब्जे काश्त में मजाहमत व दखलन्दाजी उत्पन्न करें। हर्जा खर्चा सिरस्ता वादी का प्रतिवादी संख्या 1 से सिरस्ता दिलाया जावे।

वादी का वाद प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी की गई। प्रतिवादी संख्या 1 उपस्थित होकर जवाब दवा पेश कर कथन

अधिकार है। वादी का यह कथन सरासर मिथ्या है कि रूघनाथ की मृत्यु के पश्चात 1/2 भाग का नामान्तरकरण गणेश नारायण दत्तक पुत्र रूघनाथ के नाम तस्दीक हुआ बल्कि सत्य बात यह है कि रूघनाथ की मृत्यु के पश्चात उसकी कब्जे व खातेदारी की भूमि का नामान्तरकरण मिन उत्तरदाता है की माता श्रीमती छोटी देवी का रूघनाथ के नाम तस्दीक किया गया था। गणेश नारायण को रूघनाथ व छोटी देवी द्वारा कभी गोद नहीं लिया गया था। न वह उनका दत्तक पुत्र था। रूघनाथ की मृत्यु के पश्चात रूघनाथ की खातेदारी की भूमि का इन्तकाल उसकी बेवा छोटी देवी के नाम किया गया था तथा वही काबिज काश्त रही है एवं रूघनाथ की मृत्यु के पश्चात उसकी खातेदारी उसकी बेवा छोटी के नाम दर्ज की गई। रूघनाथ तथा छोटी देवी ने गणेश नारायण को कभी गोद नहीं लिया। गणेशनारायण मुरली का ही पुत्र है तथा मुरली की मृत्यु पश्चात उसकी विरासत का नामान्तरकरण गणेशनारायण के नाम तस्दीक हुआ तथा गणेशनारायण की मृत्यु के बाद उसके 1/6 हिस्से की भूमि जो उसने मुरली से विरासत में प्राप्त हुई थी का नामान्तरकरण संख्या 219 दिनांक 23/11/2002 को मुरली के अन्य पुत्रों के नाम स्वीकार हुआ। गणेशनारायण वादी को गोद लेता तो उसके 1/6 हिस्से की भूमि का नामान्तरकरण उसके तस्दीक किया जाता। रूघनाथ जो मिन प्रतिवादी का पिता था तथा मिन प्रतिवादी रूघनाथ की जांयदा पुत्री है तथा एकमात्र प्रथम श्रेणी की वारिस एवं उत्तराधिकारी है व रूघनाथ की भूमि के संबंध में तहसीलदार बस्सी के समक्ष नामान्तरकरण खोलने का प्रार्थना पत्र पेश किया तथा स्वयं वादी ने भी प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर तहसीलदार जी बस्सी ने दोनों पक्षो की शाहदत व सबूत लेकर गुणावगुण पर निर्णय पारित कर मिन प्रतिवादी को वैध वारिस मानते हुए वादग्रस्त भूमि का नामान्तरकरण भी तस्दीक किया जाकर खातेदारी इन्द्राज हो चुका है। रूघनाथ की दो पुत्रियां बसन्ती व लक्ष्मी देवी है। बसन्ती देवी फौत हो चुकी है। गणेशनारायण के विरूद्ध मिन प्रतिवादी, उसकी बहन व माता द्वारा कोई दावा नहीं किया गया बल्कि स्वयं गणेश नारायण ने रूघनाथ की मृत्यु के पश्चात खातेदारी इन्द्राज छोटी देवी के नाम हो जाने के पश्चात एक वाद बाबत इस्तकरार हक व स्थाई निषेधाज्ञा का मु0नं0 16/1983 उनवानी गणेशनारायण बनाम छोटी व अन्य के विरूद्ध पेश किया था। गणेशनारायण नाऔलाद फौत होना सही है। उसकी मृत्यु दिनांक 20/12/2000 को हो गई तथा अप्रार्थीया ने रूघनाथ की उपरोक्त वर्णित भूमि की खातेदारी अपने नाम लगाने का प्रार्थना पत्र पेश किया जो निर्णित हो चुका है तथा वादी मिन उत्तरदाता के हक में हुए निर्णय व खातेदारी इन्द्राज को सक्षम अपीलीय न्यायालय से निरस्त कराये बिना वादी कोई सहायता मान्य न्यायालय से प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। वादी दामोदर प्रसाद का पुत्र है तथा गणेशनारायण जो वादी के पिता दामोदर प्रसाद का भाई था तथा मुरली की विरासत में गणेशनारायण के नाम दर्ज हुई भूमि उसके अन्य भाईयों के नाम दर्ज की गई है। रूघनाथ की भूमि पर वादी का कभी कब्जा काश्त नहीं रहा। वादी द्वारा उल्लेखित तथाकथित वसीयत फर्जी व कूटरचित दस्तावेज है तथा गणेशनारायण पुत्र मुरली के नाम से हलफनामें के लिए जारी हुए मुद्रांक षडयन्त्रपूर्वक व कूटरचित तरीके से मिन प्रतिवादीगण की भूमि को हड़पने की गरज से तैयार की गई है जो सरासर फर्जी व अवैध है। तहसीलदार द्वारा पारित आदेश को अपीलीय न्यायालय द्वारा ही स्थगित किया जा सकता है। प्रतिवादी द्वारा अपने कब्जे व खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 203 व 204 का वैधानिक रूप से विक्रय भौरीलाल, बदरीनारायण, श्रीनारायण, रामेश्वर, हरिनारायण, सीताराम पुत्रान श्री मांगीलाल जाति हरियाणा ब्राह्मण निवासी ग्राम जीतावाला तहसील बस्सी को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र कर दिया है तथा क्रेतागण को मौके पर काबिज दाखिल करा दिया है। जिस पर क्रेतागण काबिज है एवं उपयोग उपभोग कर फायदा उठा रहे है। वादी का रूघनाथ की भूमि के कब्जे काश्त व स्वामित्व से कभी कोई सम्बन्ध अथवा सरोकार न तो पहले कभी रहा न वर्तमान में ही उसका कोई कब्जा काश्त है। वादी को कोई वाद कारण वाद प्रस्तुत करने का उत्पन्न नहीं हुआ। न ही वादी को वाद प्रस्तुत करने

कोई सहायता मान्य न्यायालय से प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। वादी का वाद न तो मियाद में है न ही उसे वादाधिकार प्राप्त है।

प्रतिवादी संख्या 1 ने जवाब दावे में यह भी कथन किया कि वादी एक तरफ अपने आपको गणेश नारायण का दत्तक पुत्र बताता है दूसरी ओर अपने पक्ष में गणेशनारायण द्वारा वसीयत करना बताता है दोनों तथ्य परस्पर विरोधाभासी है जब बकौल वादी गणेशनारायण पुत्र मुरली ने उसे गोद ले लिया था तो उसके पक्ष में वसीयत की क्या आवश्यकता थी। वादी ने जिस तथाकथित वसीयत के आधार पर नामान्तरकरण खुलवाने के लिए तहसीलदार बस्सी के समक्ष कार्यवाही की थी वह गणेशनारायण पुत्र मुरली के नाम से जारी होने से फर्जी व कपटपूर्ण तरीके से षड़यन्त्र पूर्वक कूटरचित तरीके से तैयार की है जो अनरजिस्टर्ड व बिना किसी दिनांक के है जिससे तथाकथित वसीयत का फर्जी होना स्पष्ट साबित होता हैं। मिन प्रतिवादीया ने अपनी कब्जे व खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 203 रकबा 1 बिस्वा व 204 रकबा 4 बीघा 7 बिस्वा के 1/2 हिस्से का विक्रय जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 19/04/2006 के द्वारा भौरीलाल, बदरीनारायण, श्रीनारायण, रामेश्वर, हरिनारायण, सीताराम पुत्रान श्री मांगीलाल जाति हरियाणा ब्राह्मण निवासी जीतावाला तहसील बस्सी को कर दी है तथा विक्रय की गई भूमि पर क्रेता का मालिकाना व काबिजाना कब्जा कराकर विक्रय के समय ही काबिज दाखिल करा दिया है जिस पर उक्त क्रेतागण क्रय के समय से काबिज है। खसरा नम्बर 178 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा, खसरा नम्बर 181 रकबा 3 बीघा 16 बिस्वा के अपने 1/2 हिस्से पर मिन उत्तरदाता काबिज काश्त है। वादी अपने आपको दत्तक पुत्र बताकर उसके आधार पर विवादित भूमि के सम्बन्ध में दावा किया है जबकि वादी असल में जिसका दत्तक पुत्र है इस तथ्य की घोषणा सक्षम सिविल न्यायालय से करवाने के पश्चात ही वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में कार्यवाही करने का अधिकारी है। वादी का न तो कब्जा है न ही उसका कोई वैधानिक स्वत्व ही भूमि वादग्रस्त में है। ऐसी स्थिति में वादी को वाद दायर करने का कोई वैधानिक स्टेटस नहीं है। दावा वादी किसी भी दशा में चलने योग्य नहीं है।

प्रश्नगत वाद में प्रार्थिया प्रतिवादी संख्या 1 ने दिनांक 24/10/2010 को एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी का पेश कर कथन किया कि वह गणेश नारायण का दत्तक पुत्र है तथा गणेशनारायण को वादग्रस्त भूमि रूघनाथ का दत्तक पुत्र होने से प्राप्त हुई है। प्रार्थी प्रतिवादी के पिता रूघनाथ व माता छोटा देवी ने गणेशनारायण को कभी गोद नहीं लिया इस कारण से रूघनाथ की मृत्यु के पश्चात उसकी विरासत छोटा देवी बेवा रूघनाथ के नाम दर्ज की गई वादी गोद पुत्र के आधार पर वादग्रस्त भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित कराना चाहता है। जबकि वादी गणेशनारायण का दत्तक पुत्र नहीं है। न ही गणेशनारायण रूघनाथ का दत्तक पुत्र था, वादी राजस्व न्यायालय से रिलीफ प्राप्त करने से पूर्व सक्षम सिविल न्यायालय से दत्तक पुत्र होने की घोषणा कराने के पश्चात ही वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में कार्यवाही करने का अधिकारी है। राजस्व न्यायालय को दत्तक पुत्र होने की घोषणा कराने के पश्चात ही वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में कार्यवाही करने का अधिकारी है। राजस्व न्यायालय को दत्तक पुत्र होने न होने की घोषणा करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है वादी का दावा राजस्व न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है। प्रतिवादी संख्या 1 ने कथन किया कि उक्त तथाकथित वसीयत कब लिखी गई, किसके द्वारा लिखी गई, किसके समक्ष लिखी गई कुछ भी स्पष्ट नहीं है। तथाकथित वसीयत गणेश नारायण पुत्र मुरली द्वारा लिखी गई है जबकि खातेदारी रूघनाथ की भूमि की मांगी जा रही है। वादी को वाद लाने का कोई स्टेटस नहीं है तथा वादी सक्षम सिविल न्यायालय से रूघनाथ की सम्पत्ति प्राप्त करने का उत्तराधिकार है इस आशय की घोषणा कराने के पश्चात ही राजस्व न्यायालय से कोई सहायता प्राप्त करने का अधिकारी है। प्रार्थी प्रतिवादी संख्या 1 ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 में कथन किया कि वादी को न तो वादग्रस्त भमि के सम्बन्ध में वाद लाने का अधिकार है न ही वादी

अप्रार्थी वादी की ओर से दिनांक 30/04/2013 को प्रार्थना पत्र आदेश 7 ...न 11 सीपीसी का जवाब पेश कर कथन किया कि प्रतिवादी संख्या 1 उक्त ...जी में अपना सम्पूर्ण हक प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत पूर्व वाद छोटी देवी ...न गणेशनारायण वगै0 में जरिये राजीनामा सहायक कलेक्टर जयपुर के समक्ष ... के दत्तक पिता गणेशनारायण के हक में त्याग कर चुकी है एवं वादी उक्त ... के माध्यम से अपने दत्तक पुत्र होने की घोषणा नहीं कराना चाहता बल्कि ...स्त आराजी में अपने खातेदारी अधिकारों की घोषणा कराना चाहता है और ...तेदारी अधिकारों की घोषणा करने की अधिकारिता माननीय राजस्व न्यायालय को ... है एवं गणेशनारायण दत्तक पुत्र रूघनाथ था एवं गणेशनारायण दत्तक पुत्र ...नाथ की मृत्यु के समय विवादित आराजी मृतक गणेशनारायण के नाम दर्ज थी ...से पूर्व उसकी दत्तक माता छोटा देवी व दत्तक पिता रूघनाथ के नाम दर्ज रही ... प्रतिवादी संख्या 1 ने एक वाद सहायक कलेक्टर जयपुर के समक्ष उनवानी ...टा देवी बनाम गणेशनारायण प्रस्तुत किया था, जिसमें पक्षकारों ने न्यायालय के ...क्ष उपस्थित होकर दिनांक 25/04/1990 को अपने समस्त हक व अधिकारों ... परित्याग कर दिया था व गणेशनारायण मृतक को रूघनाथ का वारिस मान ...या था लेकिन दीगर व्यक्तियों के बहकावें में आकर व जमीनों की कीमत में ...ताशा वृद्धि हो जाने के कारण प्रतिवादी संख्या 1 ने गणेशनारायण दत्तक पुत्र ...घनाथ की मृत्यु होने के उपरान्त दिनांक 18/04/2006 को तहसीलदार बस्सी ... नामान्तरकरण संख्या 277 तस्दीक करवा लिया। उक्त कार्यवाही से व्यथित ...कर वादी को अपने खातेदारी अधिकारों की घोषणा कराना आवश्यक हुआ है और ...ही विवाद का कारण भी रहा है। वादी के पक्ष में मृतक ने एक वसीयत तकमील कर दी थी, वादी मृतक गणेशनारायण की आराजी को उसके जीवित रहते ही काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा है। प्रतिवादी संख्या 1 दो बहिने थीं दूसरी बहिन बसन्ती का स्वर्गवास हो चुका है। जिसके पुत्र नागचन्द व कैलाश ने भी वादी को ही गणेशनारायण का दत्तक पुत्र व गणेशनारायण को रूघनाथ का दत्तक पुत्र होना मानकर हक त्याग तकमील कर दिया है। प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने वादोत्तर के खण्ड 3 में मुकदमा नम्बर 16/83 उनवानी गणेशनारायण बनाम छोटा देवी का उल्लेख किया है, लेकिन उसके निर्णय का काई वर्णन नहीं किया है, जबकि उसी न्यायालय ने प्रतिवादी संख्या 1 ने उपरोक्त वर्णित वाद छोटा देवी बनाम गणेशनारायण में गणेशनारायण को रूघनाथ प्रतिवादी के पिता का वारिस मानते हुए राजीनामा प्रस्तुत कर अपने समस्त हक व अधिकारों का परित्याग किया है। इसलिए प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

हम प्रार्थिया प्रतिवादी संख्या 1 के प्रार्थना प्रत्र, अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0, अप्रार्थी वादी के जवाब प्रार्थना पत्र, अप्रार्थी वादी के वादपत्र तथा प्रार्थी प्रतिवादी संख्या 1 की लिखित बहस एवं दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन कर मनन करने पर निम्नांकित निष्कर्षो पर पहुँचते है:-

1. वादी द्वारा अपने वाद पत्र के पैरा 3 में कथन किया है कि गणेश नारायण दत्तक पुत्र रूघनाथ की मृत्यु होने पर वादी ने जब तहसीलदार महोदय के समक्ष अपने नाम नामान्तरकरण खोलने की कार्यवाही की तो प्रतिवादी संख्या 1 ने भी एक प्रार्थना पत्र उज्रदारी व अपने नाम नामान्तरकरण खोलने हेतु तहसीलदार महोदय के समक्ष प्रस्तुत किया जिस पर तहसीलदार महोदय ने साक्ष्य व सबूत लेकर लेकिन बिना किसी साक्ष्य व सबूत पर मनन किये प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में नामान्तरकरण खोले जाने के आदेश दिनांक 17/04/2006 को पारित कर दिये और जिसके प्रभाव में नामान्तरकरण भी दिनांक 18/04/2006 को नामान्तरकरण संख्या 277 तस्दीक किया जा चुका है। वादी ने अपने वाद पत्र ... में कथन किया है कि माननीय तहसीलदार महोदय बस्सी ने दिनांक ... मनमाना व

डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ. 20 रूल्स व 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत उप खण्ड अधिकारी, मुकाम बस्सी, जिला जयपुर बइजलास
पीठासीन अधिकारी--अशोक कुमार शर्मा आर0ए0एस

वादीगण	प्रतिवादीगण
1. हनुमान प्रसाद दत्तक पुत्र श्री गणेशनारायण जाति ब्राह्मण, निवासी ग्राम जीतावाला, तहसील बस्सी,जिला जयपुर।	1. लक्ष्मी देवी पत्नि श्री कैलाशचन्द शर्मा जाति ब्राह्मण निव मकान नम्बर 167, धाभाई जी का खुर्रा, रामगंज बा जयपुर। 2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील बस्सी जिल जयपुर। 3. उप पंजीयक, उपपंजीयक कार्यालय बस्सी।

<u>प्रार्थना पत्र बाबत् वाद खारिजी</u>
<u>अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहिता 1908</u>

मुकदमा न0 318/2008

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कई रूबरू हमारे .... वादी व. .... प्रतिवादीगण मिनजामिन मुददई रूबरू हमारे मिनजामिन मुददायलह पेश होकर हु दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि वादी का वाद विधि विरूद्ध पाये जाने तथा न्यायालय हा के क्षेत्राधिकार से परे होने के कारण प्रार्थिया प्रतिवादी संख्या 1 का प्रार्थना पत्र न्यायोचित पाये ज के कारण स्वीकार किया जाकर वादी का वाद बाबत घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 खारिज किया जाता है।

.......................निजि.........................मुबकिल.................बाबत.....................खर्चा इस मुकददमें का मय सू वगैरह.............फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलियाव तक...................को अदा करे।
बसख्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 31/01/2018 को जारी किया गया।

मोहर

दस्तखत..........................
उप खण्ड अधिकारी
ओहदा.............................
बस्सी जिला जयपुर

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वहत सबूत			स्टाम्प वहत सबूत		
महन्ताना वकील			महन्ताना वकील		
खर्चा गवाहन			खर्चा गवाहन		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बबत् इजराय			बबत इजराय		
हुक्मनामा			हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
मीजान			मीजान		

नोटः– इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा पर दो फरीकेन का चाहे डिगरी के जरिए दिखाया हो या नही दर्ज करना चाहिए।